न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /एफ०टी०सी०-द्वितीय/

विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), देवरिया।

पीठासीन अधिकारीः- जगन्नाथ(उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP01863

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1055/2026

UPDE 010025992026

बंटी राजभर वउम्र 32 वर्ष पुत्र दयानन्द राजभर
साकिन जयनगर, तहसील तिराहा, थाना बरहज, जिला देवरिया

----------**प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उ0प्र0 सरकार

----------**विपक्षी**

अ0सं0-90/2026
धारा-2(B)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना-भलुअनी, जिला-देवरिया।

23.06.2026

1- आवेदक/अभियुक्त बंटी राजभर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-90/2026, धारा-2(B)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना-भलुअनी, जिला देवरिया के अधीन प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2- आवेदक/अभियुक्त की ओर से बहस करते हुए उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी की ओर से प्रथम जमानत याचिका दी जा रही है। अन्य कोई भी जमानत याचिका प्रस्तुत न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो दी गयी है न तो लम्बित है न खारिज है। सबूत पक्ष के अनुसार एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक-20.03.2026 को 21.17 बजे थाना बरहज, जिला देवरिया में दर्ज हुई जिसका घटना काल अदम तहरीर कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है कोई जुर्म नही किये है अभियोजनपक्ष का सम्पूर्ण कहानी झुठी एवं मनगढंत है। तहरीर के आधार पर तीन लोगों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 2बी (1) व 3(1) थाना बरहज में पंजीकृत की गयी। तथाकथित घटना दिनांक 20.03.2026 की कही जाती है, जिसकी रपट 20.03.2026 को समय 21:17

बजे पंजीकृत की जाती है। घटना का कोई निर्धारित समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। घटना में वांछित जिन सहअभियुक्तों को पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाया गया है उनके बारे में हम प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। मुकदमें का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। सबूतपक्ष की कहानी फर्जी बनावटी व बलहीन किस्म की है। प्रार्थी का उक्त मुकदमें से कोई वास्ता सरोकार व जान पहचान नहीं है। हम प्रार्थी दिनांक- 20.03.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। हम प्रार्थी को मुकदमा अपराध संख्या 308/2025, धारा- 331(4) में थाना बरहज में पंजीकृत होना कहा जाता है। उससे हम प्रार्थी का कोई वास्ता सारोकार नही है। हम प्रार्थी काफी गरीब व असहाय प्रार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है, जेल में निरूद्ध होने के कारण हम प्रार्थी का परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। प्रार्थी/बन्दी अभियुक्त को पुलिस दिनांक 20.03.2026 को थाना-बरहज की पुलिस प्रार्थी से पुछताछ करने के लिये प्रार्थी को घर से बुलाकर ले गये तथा फर्जी मुकदमे में चालान कर जेल भेज दिया। प्रार्थी/बन्दी आवेदक एक सम्मानित परिवार का है। प्रार्थी/बन्दी आवेदक को उक्त मुकदमे में फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाकर दिनांक-20.03.2026 को विवेचक द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में प्रार्थी का रिमाण्ड लिया गया है। प्रार्थी किसी भी गिरोह का न तो कोई सदस्य है और न ही कोई गिरोह है। प्रार्थी/बन्दी आवेदक एक सम्मान्त परिवार से है तथा विवेचक द्वारा अन्य उच्च पुलिस अधिकारीयों से मिलकर अवैध तरीके से प्रार्थी के विरूद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की गयी है। गैंगचार्ट के अनुमोदन के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा वास्तविकता का पता नही किया है। प्रार्थी से समाज को कोई आतंक डर व भय व्याप्त नही है। प्रार्थी ने कभी भी समाज से भौतिक आर्थिक बुनियादी लाभ नही लिया है। प्रार्थी/बन्दी अभियुक्त किसी भी सक्रिय गिरोह का लीडर नही है। प्रार्थी/बन्दी अभियुक्त एक गरीब व्याक्ति है लम्बे समय से जेल में निरूद्ध रहने के कारण प्रार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। इस मुकदमें के अतिरिक्त प्रार्थी की अन्य कोई जमानत याचिका लम्बित नहीं है।जमानत मुचलिका देने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत मुचलिके पर रिहा करने की कृपा करें।

3- राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य है। वह अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गिरोह कायम किया है जो सामूहिक रूप से आम जनता की जमीनों को जान माल की धमकी देते हए व कूटरचना कर कब्जा करने, उद्यापन तथा मुकदमा वापस लेने की धमकी देना, हत्या की धमकी देने का कार्य करता है। अभियुक्त का कृत्य उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (ख) की उपधारा (एक),(तीन),(चार) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर पुनः अपराध की दुनिया में शामिल हो जायेगा तथा वादी तथा गवाहान को धमका कर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करेगा। जमानत पर छूटने के बाद पुनः सक्रिय गिरोह बनाकर अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

4- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस सुना एवं पत्रावली व थाने की आख्या व अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5- अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20.03.2026 को मैं थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय मय हमराह हे0 का0 सतीष सिंह, का0 दीपक यादव मय सरकारी वाहन संख्या UPS2AG0331 के चालक का0 अभिषेक सिंह के रवानाशुदा रो०आम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त व रोकथाम जुर्म जरायम में क्षेत्र में भ्रमणशील था कि ज्ञात हुआ कि 1. शिव कुमार उर्फ शिवा पटेल पुत्र शंभू पटेल सा० तिवारीपुर वार्ड नं0-12 थाना बरहज जनपद देवरिया, हा० मुकाम नदना वार्ड पश्चिमी थाना बरहज जनपद उम्र करीब 29 वर्ष ने अपने सह अभियुक्त सदस्य 2. राजेश उर्फ बेचू जायसवाल पुत्र बसंत जायसवाल सा० तिवारीपुर थाना बरहज जनपद देवरिया उम्र करीब 30 वर्ष एवं 3. बंटी राजभर पुत्र दयानंद राजभर सा० जयनगर तहसील तिराहा थाना बरहज जनपद देवरिया उम्र करीब 32 वर्ष का एक सुसंगठित गिरोह है जिसका गैंगलीडर शिव कुमार उर्फ शिवा पटेल उपरोक्त है तथा सदस्य 1. राजेश उर्फ बेचू जायसवाल व 2. बंटी राजभर पुत्र दयानंद राजभर उपरोक्त है। इस गिरोह दवारा चोरी /नकब्जनी (सेंधमारी) का अपराध कारित किया जाता है। यह गिरोह अपने आर्थिक, भौतिक, अनुचित एवं दुनियावी लाभ हेतु सामूहिक रूप से चोरी/नकब्जनी (सेंधमारी) जैसे संज्ञेय अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी हैं इनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0 अ 0 सं0 308/2025 धारा 331(4), 305 317(2) BNS थाना बरहज जनपद देवरिया आरोप पत्र संख्या A-285/2025 दिनांक 16.12.2025 को किता कर मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। इनका यह कार्य उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण की धारा 2 के खण्ड ख) की उपधारा (एक) में परिभाषित अपराध की श्रेणी में आता है जो कि धारा 3(1) 30 प्र 0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसका और इसके गैंग के सदस्य का समाज में इतना भय एवं आतंक व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं करता है इनका समाज में स्वछंद विचरण करना जनहित में

ठीक नहीं है। यह पूर्णतया समाधान हो गया है कि इनका एक सुसंगठित गिरोह है इनके आपराधिक गतिविधियों से जनमानस में भय एवं आक्रोश व्याप्त है इनके विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3(1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु मुझ थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 11.03.2026 को गैंगचार्ट तैयार कराकर उच्चाधिकारीगणो से संस्तुति व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में उच्चाधिकारीगण की संस्तुति व श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.03.2026 को गैंग चार्ट अनुमोदित होने के उपरान्त प्राप्त हुआ। अभियुक्तगण 1. शिव कुमार उर्फ शिवा पटेल पुत्र शंभू पटेल सा० तिवारीपुर वार्ड नं0-12 थाना बरहज जनपद देवरिया, हा० मुकाम नंदना वार्ड पश्चिमी थाना बरहज जनपद 2. राजेश उर्फ बेचू जायसवाल पुत्र बसंत जायसवाल सा० तिवारीपुर थाना बरहज जनपद देवरिया 3. बंटी राजभर पुत्र दयानंद राजभर सा० जयनगर तहसील तिराहा थाना बरहज जनपद देवरिया के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2(b)(i) एवं 3(1) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

6- पत्रावली पर उपलब्ध गैगचार्ट के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-90/2026, धारा-2(B)(1), 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट , थाना बरहज, जनपद देवरिया पंजीकृत है। उक्त प्रकरण में विवेचना है। अभियुक्त को गैंग का सक्रिय सदस्य बताया गया है।

7- उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क, थाने की आख्या व पत्रावली के परिशीलन करने से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर मामले में अपराध पंजीकृत है। अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गिरोह कायम किया है जो सामूहिक रूप से आम जनता की जमीन, जान माल की धमकी देते हुए व कूटरचना कर कब्जा करने, उद्यापन तथा मुकदमा वापस लेने की धमकी देने का अभ्यस्त अपराधी बताया गया है। इस गिरोह के गैंग लीडर व इसके सदस्य भा०दं०सं० के अध्याय 16,17 व 22 का अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी हैं तथा इनका समाज में दहशत व आतंक व्याप्त है। जमानत के सम्बंध में गैंगेस्टर अधिनियम की धारा-2 (ख) की उपधारा (एक), (तीन),(चार) के परिप्रेक्ष्य मे गैंग चार्ट मे दर्शित मुकदमें की प्रकृति को देखते हुए इस बात पर विश्वास करने का युक्ति-युक्त आधार नही है कि जमानत पर रिहा होने के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया जायेगा। आवेदक/अभियुक्त पर मिथ्यालिप्त किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथित तथ्य,साक्ष्य व विचारण का विषय है।

अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों को विचार में रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त बंटी राजभर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-90/2026, धारा-2(B)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना-भलुअनी, जिला देवरिया में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-23.06.2026

(जगन्नाथ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०-द्वितीय/ विशेष न्यायाधीश
(गैंगेस्टर एक्ट),देवरिया।
जे० ओ० कोड- UP 01863